न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस.

अपील संख्या: 129/2014 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2014/00068

सेठ गिरधारी लाल बिहाणी सनातन धर्म शिक्षा ट्रस्ट श्रीगंगानगर जरिये अध्यक्ष जयदीप बिहाणी पुत्र स्व. श्री सुशील कुमार बिहाणी जाति माहेश्वरी निवासी 14, स्वामी दयानंद मार्ग, श्रीगंगानगर।

— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

— रेस्पोन्डेंट

उपस्थित: श्री राजेश बैद — अभिभाषक अपीलांट
श्री मोहम्मद इम्तियाज अली — राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 28.04.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 26.06.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 3 ई छोटी के मुरब्बा नंबर 12 के किला नंबर 1 ता 13 के 13 बीघा, किला नंबर 18 ता 20 के 3 बीघा, किला नंबर 21 में 0.18 बीघा, किला नंबर 22 में 0.18 बीघा, किला नंबर 23 में 0.18 बीघा, किला नंबर 24/2 में 0.04 बीघा में स्कूल, किला नंबर 14 ता 17 के 4 बीघा, किला नंबर 24/1 में 0.14 बीघा, किला नंबर 25 में 0.18 बीघा नहरी भूमि कुल 18.18 बीघा स्कूल व 5.12 बीघा नहरी अपीलांट संस्था के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 26.06.2013 में तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार करते हुए उक्त विवादित भूमि की किस्म परिवर्तित कर नहरी दर्ज कर जमाबन्दी दुरूस्त करने के आदेश दिए, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री राजेश बैद ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट संस्था द्वारा दिनांक 11.07.1951 कॉलेज, स्कूल, छात्रावास व स्टाफ के क्वार्टर आदि बने हुए है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि शहरी सीमा में आ

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

चुकी है, पूर्णतया अकृषि प्रयोग में आ रही हैं। अधिनरथ न्यायालय को आदेश जैर अपील पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। इसलिए आदेश जैर अपील अधिनरथ न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते है, क्योंकि वादगत भूमि की गिफ्ट सन 1951 में सेठ गिरधारीलाल बिहाणी ने अपीलांट संस्था को कर दी थी, जो वर्तमान प्रचलित कानून से पूर्व निष्पादित हो चुकी थी। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा यदि बन्दोबस्त विभाग द्वारा सम्वत् 2037 में कोई गलती की भी है तो इतने लम्बे समय के पश्चात् सम्वत् 2057 में की गई कार्यवाही मात्र अपीलांट संस्था को तंग व परेशान करने की नीयत से की गई है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आदेश उसी स्थिति में किया जा सकता है जब दोनो पक्षकार सहमत हो। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे तथा इसके आधार पर यदि कोई राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिया गया है तो उसे भी निरस्त किया जावे।

3– विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि वादगत भूमि में अपीलांट संस्था ने किस्म परिवर्तन की कोई राशि नहीं जमा करवायी है। अतः उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित किस्म परिवर्तन के आदेश उचित है।

4– हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। वादगत भूमि सन् 1951 से अपीलांट संस्था के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त विवादित भूमि के संबंध में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दो बार Settlement किया जा चुका हैं, जिसमें भूमि राजस्व रिकार्ड में अपीलांट संस्था के नाम से दर्ज हैं। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को धारा 136 के अंतर्गत लिपिकीय त्रुटि के शुद्धिकरण का ही अधिकार है, भूमि के किस्म परिवर्तन का अधिकार नहीं है। अतः अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 26.06.2013 को निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.04.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर